Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need for Scheduled Tribe status to Coach-Rajbansi tribe in the state list of Assam.

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार) : महोदया, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। असम के आदिवासी विशेषकर मुंडा, गौरा, संथाल, औराव, खरिया, किसान बहुत पहले से जनजाति में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भी माननीय प्रधान मंत्री जी हमारे क्षेत्र में आये थे और उन्होंने कहा था कि 'राजबंगशी' को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। असम के चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

वर्ष 1996 में एक अध्यादेश के जरिए 'राजबंगशी' जाति को जनजाति का दर्जा प्राप्त करने का एक मौका मिला था, लेकिन वह संविधान में जोड़ी नहीं गई। मौरान, मोटक, सुतिया, अहम भी जनजाति के तहत आने के लिए मांग कर रहे हैं और हमारे संसदीय क्षेत्र में तीन डिस्ट्रिक्ट बक्सा, सीरान, कोकराझाड़ सिक्स्थ शेड्यूल में आते हैं। यदि वे जनजाति में शामिल नहीं किए जाते हैं तो उन्हें जमीन का अधिकार नहीं मिलता है, उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता है और न कोई आर्थिक सहायता मिलती है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत उन्हें जो घर भी मिले हैं, उसका फायदा भी उन्हें नहीं मिल रहा है। कलिता और नाजुकी भी मांग कर रहे हैं। यदि इन्हें जनजाति में शामिल नहीं किया जाता है, तो इन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता है। प्रधान मंत्री और असम सरकार ने जो वायदा किया था, वह वायदा पूरा होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि यह जल्दी ही इस मुद्दे का समाधान किया जाए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री जितेन्द्र चौधरी,

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान और

श्री शंकर प्रसाद दत्ता श्री नव कुमार सरनीया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।